सिंचाई परियोजनाएं

454. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या पिछली दशक से पूर्व राज्यों में शुरू की गयी अनेक सिंचाई परियोजनाएं निधियों की कमी के कारण अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी सिंचाई परियोजनाएं गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित हैं;

(ग) क्या जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग ने इस संबंध में स्थिति का कोई मूल्यांकन किया हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओ का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता हैं। परियोजनाओं को पूरा होना उनके आकार, भूमि की उपलब्धता, स्वीकृति, भौगोलिक अवस्थाओं आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता हैं। इतना ही महत्व राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को आबंटित निधियों का भी हैं।

गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार हैं:-

	वृहट	मध्यम	कुल
गुजरात	9	8	17
	33	49	8

(ग) और (घ) योजना आयोग में राज्यों की वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न चल रही सिचांई पिरयोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरी करता हैं। केन्द्र ने उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा होने के लिए जो पूरा होने के उन्नत चरण में हों अथवा ऐसी विपशाल परियोनाओं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हों, को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता देने के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधियों के तहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

सिंचित भूमि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सहायता

455. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक महाराष्ट्र और गुजरात में सिंचित भूमि क्षेत्र के प्रतिशत में वृद्वि करने के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के कितने जिलों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कुछ ठोस सुझाव भी दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Flood Control in Assam

456. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government formulated any long-term/short-term policy on Brahamputra River to control the flood situation in the State of Assam;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the details of steps being taken so far by Government since independence and proposed to be taken in the Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) does not arise.